छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमॉक / / गोपनीय / 2023 रायपुर, दिनॉक ....

/ / आदेश / /

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा संचालित हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2014 से 2022 तक (वर्ष 2015 एवं 2021 को छोडकर) जिन मूल्यांकनकर्ताओं (शिक्षकों) के द्वारा मूल्यांकन के दौरान सौपे गये कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती गई है, उन्हें गुण–दोष के आधार पर समिति द्वारा तीन श्रेणियां में शास्ति अधिरोपित कर दण्ड का प्रावधान किया गया था।

परीक्षा एवं परीक्षाफल समिति की संयुक्त बैठक दिनॉक 10.08.2023 से 16.08.2023 तक कार्यवाही विवरण विषय क्रमॉक 07 पर समिति द्वारा पूर्व के निर्णय अनुसार दण्ड के प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

1. श्रेणी–1(एक) 20 से 40 अंको की वृध्दि वाले प्रकरणों में:– मण्डल के समस्त पारिश्रमिक कार्य से 03 (तीन) वर्ष के लिये वंचित किया जाता है।
2. श्रेणी–2(दो) 41 से 49 अंको की वृध्दि वाले प्रकरणों में:– मण्डल के समस्त पारिश्रमिक कार्य से 05 (पॉच) वर्ष के लिये वंचित किया जाता है।
3. श्रेणी–3(तीन) 50 से अधिक अंको की वृध्दि वाले प्रकरणों में:– मण्डल के समस्त पारिश्रमिक कार्य से 05 (पॉच) वर्ष के लिये वंचित किया जाता है तथा शासन / विभाग को एक वार्षिक वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकने की अनुशंसा की जायेगी।

यह आदेश मुख्य परीक्षा वर्ष 2022–23 से लागू होगा।

/

(प्रोफेसर व्ही0के0 गोयल)
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमॉक / 1496 / गोपनीय / 2023 रायपुर, दिनॉक 12/9/23

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. अध्यक्ष महोदय / सचिव के निज सचिव, छ0ग0मा0शि0मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित्।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित्।
4. समस्त कलेक्टर, छ0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित्।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छ0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित्।
6. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ0ग0मा0शि0मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित्।
7. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग–दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर छ0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित्।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छ0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित्।
9. संभागीय अधिकारी, छ0ग0मा0शि0मण्डल, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
10. सहायक सचिव / कक्ष अधिकारी, डाटा कक्ष छ0ग0मा0शि0मण्डल, रायपुर, की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
11. प्रोग्रामर, डाटा कक्ष छ0ग0मा0शि0मण्डल, रायपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

11/9/23
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर